


फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा
नत्थूराम बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा-प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए.

मु0नं0-36/2025

पीठासीन अधिकारी- डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06.06.2025	<p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस बाबत पेश किया गया कि प्रार्थी का नाम नत्थूराम पुत्र परसादी है लेकिन ग्राम चांदेरा तह0 सिकराय में स्थित भूमि खाता संख्या 178, 179, 180 प्रार्थी का नाम नत्था पुत्र परसादी दर्ज है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम नत्थूराम है। इसलिए प्रार्थी के सभी नाम की शुद्धि करते हुए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही किया जावे।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पटवारी हल्का चांदेरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का के अवलोकन से प्रार्थी का सही नाम नत्थूराम होना बखूबी साबित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम नत्था दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चांदेरा तह0 सिकराय में स्थित भूमि वर्तमान खाता संख्या 178, 179, 180 में प्रार्थी का नाम नत्था के स्थान पर नत्थूराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते हैं। पालना तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फाँसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा </p>	